पोर्टल हेतु

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
वित्तीय वर्ष 2025–26

प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा/आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024–25 से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की गई है।

इस योजना का दायरा बढाते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 बजट घोषणा 121 अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पशुपालको की संख्या को दोगुना कर 10–10 लाख गाय, भैंस, 10–10 लाख भेंड, बकरी तथा 2 लाख ऊटों सहित कुल 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। इन पशुओं में 21 लाख पशु वित्तीय वर्ष 2024–25 के सम्मिलित होंगें। इस पर कुल 200 करोड रूपयें का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित है। इस योजना से राज्य के गाय, भैंस, भेड, बकरी व ऊँट पालक पशुपालक परिवारों के पशुधन का रिस्क कवर कर पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान होगा।

पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया :–

योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। पशुपालकों को एप / सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। मोबाईल ऐप / वेवपोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।

बीमा के लिए पशुपालकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 मे प्रतीक्षा सूची मे शामिल पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको हेतु क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत बीमा लक्ष्य आरक्षित रखे जायेगें। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालकों के नहीं होने पर अन्य श्रेणी के पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।

बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय/ भैंस अथवा दोनों), 10 बकरी / 10 भेड़ /10 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं हो।

यह बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् व नस्त आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जावेगा तदापि बीमा के लिये 1 कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40000/– रूपये ही होगी।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अन्तर्गत पशुपालकों के देशी संकर दूध देने वाले पशु यथा–गाय एवं भैस, भारवाहक पशु–ऊँट ऊँटनी एवं अन्य छोटे रोमन्थी पशु जैसे बकरी व भेड़ का एक वर्ष के लिये निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है।

भेड़ एवं बकरी की एक केटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय ,भैंस एवं ऊँट के संदर्भ में एक कैटल यूनिट में 01 पशु माना जायेगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़ /बकरी है

तो ऐसी स्थिति में एक कैटल यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जाकर पशुपालक के पास उपलब्ध भेड़ /बकरी का बीमा किया जा सकेगा।

जिलों को उनके पशुओं की संख्या के आधार अनुपात में बीमा के लक्ष्य निर्धारित किये गये है ताकि सम्पूर्ण प्रदेश के पशुपालकों को समानुपातिक व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त हो सके।

कीमत का निर्धारण

क्र. स.	पशु का प्रकार	बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक
1	गाय (दुधारू)	राशि रू. 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/– प्रति पशु
2	भैस (दुधारू)	राशि रू. 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/– प्रति पशु
3	बकरी (मादा)	अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
4	भेड़ (मादा)	अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
5	ऊंट (नर एवं मादा)	अधिकतम राशि रू. 40000 प्रति पशु
कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।		

पशु की उम्र का निर्धारण:–

क्र. स.	पशु का प्रकार	बीमा हेतु पशु की उम्र
1	गाय (दुधारू)	3 वर्ष से 12 वर्ष
2	भैस (दुधारू)	4 वर्ष से 12 वर्ष
3	बकरी (मादा)	1 वर्ष से 6 वर्ष
4	भेड़ (मादा)	1 वर्ष से 6 वर्ष
5	ऊंट (नर एवं मादा)	2 वर्ष से 15 वर्ष

Document certified by ANAND SEJRA
<ANANDSEJRA@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by ANAND SEJRA
Designation :Director
Date :14-11-2025 07:26:42

RajKaj Ref No.: 18855227
eSign DSC